

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 411]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 11 अगस्त 2010—श्रावण 20, शक 1932

गृह (सी-अनुभाग) विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 अगस्त 2010

क्र. एफ. 35-84-07-दो-सी-1.—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 258 खण्ड (1) व राष्ट्रपति द्वारा केन्द्र सरकार को प्रदत्त प्रशासनिक कर्तव्यों के अनुसरण में, केन्द्र सरकार के राजपत्र भाग-दो उप विभाग 3(दो), दिनांक 11 मई 1963 में प्रकाशित केन्द्र सरकार के आदेश का.आ. 1285, दिनांक 4 मई 1963 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में मध्यप्रदेश शासन, शासकीय गुप्त अधिनियम, 1923 (1923 का 19) की धारा 2 के खण्ड (8) के उपखण्ड (ग) व (घ) के अंतर्गत केन्द्र सरकार के अधिकारों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश शासन, एतद्वारा, अनुसूची में वर्णित स्थानों को उक्त अधिनियम के कालम 2 के खण्ड (8) के उपखण्ड (घ) के अंतर्गत प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करता है:—

अनुसूची

क्र. (1)	स्थान (2)	पता (3)	प्रतिबंधित क्षेत्र की चतुर्सीमा (4)
1	इंडियन ऑयल कार्पो. लि., बल्क पेट्रोलियम लि., इटारसी डिपो, झूरापुर रोड, एफ. सी. आई. गोडाउन के पास, देहरी, इटारसी, जिला-होशंगाबाद (म.प्र.).	इंडियन ऑयल कार्पो. लि., बल्क पेट्रोलियम लि., इटारसी डिपो, झूरापुर रोड, एफ. सी. आई. गोडाउन के पास, देहरी, इटारसी, जिला-होशंगाबाद (म.प्र.).	पूर्व—इटारसी हरदा रोड तथा एफ.सी.आई. गोडाउन. पश्चिम—इटारसी नागपुर रेलवे लाइन. उत्तर—रिक्त भूमि दक्षिण—देहरी गांव.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

चंद्रहास दुबे, सचिव.

भोपाल, दिनांक 11 अगस्त 2010

क्र. एफ 35-84-2007-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 11 अगस्त 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चंद्रहास दुबे, सचिव.

Bhopal, the 11th August 2010

No. F. 35-84-2007-II-C-1.—In pursuance of entrustment of the executive functions of the Central Government to the Government of Madhya Pradesh by the President under clause (1) of Article 258 of the constitution of India, in relation to any matters specified in sub-clause (c) and (d) of clause (8) of Section 2 of the Indian Official Secrets Act, 1923 (19 of 1923) by the Government of India's Order No. S.O. 1285, dated the 4th May, 1963, Published in the Gazette of India, Part-II, Section 3(ii), dated the 11th May 1963, the Government of Madhya Pradesh hereby declares under sub-clause (d) of the clause (8) of Section 2 of the said Act the place specified in the Schedule hereto be the prohibited places of the purposes of the said Act, namely :—

SCHEDULE

S.No.	Place	Location	Description of the Boundaries of the Prohibited Place
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Indian Oil Corporation Ltd., Bulk Petroleum Ltd., Itarsi Depot Jhurarpur Road, Near F.C.I. Godown, Dehri, Itarsi, District Hoshangabad (M.P.).	Indian Oil Corporation Ltd., Bulk Petroleum Ltd., Itarsi Depot Jhurarpur Road Near F.C.I. Godown, Dehri., Itarsi, District Hoshangabad (M.P.).	East—Itarsi-Harda Road and F.C.I. Godown. West—Itarsi-Nagpur Railway line. North—Open land South—Dehri Village.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
CHANDRAHAS DUBEY, Secy.